

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-सि० को०-०१/२००१ पार्ट-III- ६५

/ पटना, दिनांक- २८.०१.२०२०

आवश्यक सूचना

विषय- कर्मनाशा मुख्य नहर, कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हड़िया वितरणी का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य हेतु रब्बी सिंचाई २०१९-२० के दौरान जलश्राव बंद रखने के संबंध में ।

Subject:- Notice for closure of Karmnasha Main Canal, Karmnasha Main Canal Extension and Kulhariya Distributory for restoration and linig work during Rabbi Irrigation 2019-20.

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन कर्मनाशा मुख्य नहर, कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हड़िया वितरणी का पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग कार्य हेतु रब्बी सिंचाई २०१९-२० के दौरान जलश्राव बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।

अतः कर्मनाशा मुख्य नहर, कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हड़िया वितरणी के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई २०१९-२० के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है ।


(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-सि० को०- १/२००१ पार्ट III- ६५

/ पटना, दिनांक- २८.०१.२०२०

प्रतिलिपि:- उप सचिव , ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु०- यथावत् ।


(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि० को०- १/२००१ पार्ट III- ६५

/ पटना, दिनांक- २८.०१.२०२०

प्रतिलिपि:- जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना की दस प्रति एवं सी० डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । कृपया इस सूचना को दो समाचार पत्रों में एक दिन बीचकर दो दिन प्रकाशित कराया जाय ।

अनु०- यथावत् ।


(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि० को०- 1/2001 पार्ट III-65

/ पटना, दिनांक- 28.01.2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना/ आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिलाधिकारी, कैमूर/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अरुण कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)